राजस्व लोक अदालत 2016

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्टः– श्री उदयभानू चारण(आर.ए.एस.)

कैम्प–मेवानगर दिनांकः– 19.5.16

मुकदमा सं0 :–88/2015

वादीगण

1. जेठाराम पुत्र पुनमाराम जाति भील
2. श्रीमती धुड़ीदेवी पत्नी जेठाराम जाति भील
   निवासी कितपाला तहसील पचपदरा

बनाम

प्रतिवादीगण

1. पारसराम पुत्र धुड़ीया जाति भील
2. तुलसाराम पुत्र धुड़ीया जाति भील
3. उतमाराम पुत्र धुड़ीया जाति भील
4. ईशाराम पुत्र धुड़ीया जाति भील
5. सोगा बैवा धुड़ीया जाति भील
6. पेमाराम पुत्र पुरखाराम जाति भील
7. श्रीमती गीतादेवी पत्नी पेमाराम जाति भील
8. ढलाराम पुत्र मिसराराम जाति भील
   सभी निवासियान मेवानगर तहसील पचपदरा
9. राजस्थान राज्य द्वारा प्रतिनिधी भूमि धारक
   तहसीलदार पचपदरा जिला बाड़मेर

दावा बाबत बंटवाड़ा(तकासमा) एव स्थाई निषेधाज्ञा व्यादेश अन्तर्गत धारा 53,
(कृषि क्षैत्र का विभाजन) रा0का0अ0 1955

निर्णय

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प मेवानगर में पेश हुई । वाद के मुख्य तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की सह संयुक्त सामलाती भूमि खसरा सं0 क्रमशः 359, 361, 365, 366, 373, 377, 362 रकबा क्रमशः 6.11 बीघा, 18.12 बीघा, 32.16 बीघा, 82.04 बीघा, 13.03 बीघा, 33. 04 बीघा, 56.16 बीघा, बुल रकबा 242.06 बीघा सरहद मौजा मेवानगर में आई हुई है। जिसमें वादीगण का वादपत्र के पद सं0 2 मे दर्ज हिस्सा कब्जा कास्त का है। प्रतिवादीगण गांव कतिपय आसामाजिक तत्वों के गलत सिखावे में आ कर वादीगण के कब्जा कास्त की भूमि में दखल हस्तक्षेप की मंशा रखते है। वादीगण ने वादग्रस्त भूमियों के कुल रकबा 242.06 बीघा में से वादीगण का हिस्सा वादपत्र के पद सं0 2 में वर्णित अनुसार कुल रकबा 212.03 बीघा वादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किये जाने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में प्रस्तुत हुआ जिसमें पक्षकारान ने उपस्थित हो कर आपसी राजीनामा प्रस्तुत किया गया। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजातों का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया है।

प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अवलोकन से जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में शामलाती दर्ज होने के कारण पक्षकारान के मध्य तनाजा रहता है। पक्षकारान ने राजस्व लोक अदालत की भावना से प्रेरित हो कर आपसी समझाईश के आधार पर राजीनामा प्रस्तुत कर व्यक्त किया है कि उक्त प्रकरण में पक्षकारान के मध्य सुलह हो चुकी है एवं पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर खसरा सं0 क्रमशः 359, 361, 365, 366, 373, 377, 362 रकबा क्रमशः 6.11 बीघा, 18.12 बीघा, 32.16 बीघा, 82.04 बीघा, 13.03 बीघा, 33.04 बीघा, 56.16 बीघा, बुल रकबा 242.06 बीघा सरहद मौजा मेवानगर का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हिस्सेनुसार बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा किया जाता है। मौके का विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार पचपदरा से मंगाया जाये । प्राथमिक डिक्री जारी हो । खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें।

पत्रावली फैसलशुमार हो कर दाखिल दफ्तर हो ।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(उदयभानु चारण)
सहायक कलेक्टर
बालोतरा
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner